

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302001)

Telefax:0141-2222403

E-mail-dlbrajasthan@gmail.com

web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

पीआर/डीएलबी/IRGY(Urban)/Govt. & Rental Sites/2022/ 4797

दिनांक : 06/10/22

मैसर्स राजस्थान पत्रिका  
जयपुर

विषय:- इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अन्तर्गत आमजन में जागरूकता पैदा करने हेतु राजस्थान संवाद द्वारा अनुमोदित दरों पर किराये की विज्ञापन साईट्स पर प्रचार-प्रसार कराने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय आदेश क्रमांक 4278 दिनांक 07.09.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको प्रासंगिक पत्रों द्वारा इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अन्तर्गत आमजन में जागरूकता पैदा करने हेतु राजस्थान संवाद के आदेश क्रमांक राज. संवाद/लेखा/2022-23/ 2182-85 दिनांक 17.08.2022 द्वारा अनुमोदित दरों पर निर्धारित डिजाईन के अनुसार किराये की विज्ञापन साईट्स पर प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु कार्यादेश प्रदान किया गया था। प्रासंगिक कार्यादेश की अवधि आगामी 01 माह तक बढ़ायी जाती है। फ्लैक्स प्रिंटिंग और माउंटिंग व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः आप प्रासंगिक आदेश के साथ संलग्न सूची के अनुसार आगामी एक माह तक निरन्तर विज्ञापन प्रदर्शित करें।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

पीआर/डीएलबी/IRGY(Urban)/Govt. & Rental Sites/2022/ 4798-4811 दिनांक : 06/10/22

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
5. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राज0।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)